

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : भुवनेश्वर सिंह चौहान (आर.ए.एस)

खाद्य सुरक्षा परिवाद संख्या 25/2025 GCMS No.2025/40

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य
सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
बालोतरा।

बनाम

01. श्री शैतानसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह जाति
राजपुरोहित फर्म नाकोड़ा डेयरी ललेची माता
रोड़ समदड़ी निवासी गांव खारवा काकराला पं
सं कल्याणपुर जिला बालोतरा।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम की धारा 26 की उप धारा 2(ii) व दण्डनीय धारा 51

उपस्थित

1. अभियोजन अधिकारी, बालोतरा प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी 01 (गैर सायल) श्री शैतानसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह जाति राजपुरोहित फर्म नाकोड़ा डेयरी ललेची माता रोड़ समदड़ी निवासी गांव खारवा काकराला पं सं कल्याणपुर जिला बालोतरा।

आदेश

दिनांक:- 08.10.2025

प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बालोतरा द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(पप) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बालोतरा द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि **अप्रार्थी 01 (गैर सायल) श्री शैतानसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह जाति राजपुरोहित फर्म नाकोड़ा डेयरी ललेची माता रोड़ समदड़ी निवासी गांव खारवा काकराला पं सं कल्याणपुर जिला बालोतरा।** पर निरीक्षण दिनांक 27.04.2025 के दौरान विक्रय हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ **दुध (खुला)** में मिलावट का शक होने पर नियमानुसार कुल 02 लीटर वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या AQ-109 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **दुध (खुला)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **दुध (खुला)** का नमूना जांच उपरांत रिपोर्ट L.S. / 575/ Act / 2025/ 575 दिनांक 15.05.2025 में **The sample of Mixed milk bearing Code No. and Sr. No. AQ-94 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Balotra is Sub-standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standard and Food Additives) Regulations, 2011** पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बालोतरा द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।



6
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

1. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी खाद्य पदार्थ निर्माता स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी को प्रत्येक स्तर पर सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अपने प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यपरक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है। हमने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से संबंधित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर की जांच उपरांत **L.S./575/Act/2025/575 दिनांक 15.05.2025** में **The sample of Mixed milk bearing Code No. and Sr. No. AQ-94 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Balotra is Sub-standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standard and Food Additives) Regulations, 2011** का पाया गया है। इस पर यह परिवाद प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए तथा प्रकट किया कि अप्रार्थी की फर्म से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूने में पाई गई मिलावट अज्ञानता के कारण हुई है। भविष्य में ऐसे भूल दोहराई नहीं जायेगी। अप्रार्थी द्वारा उक्त नमूना **दही (खुला)** में **The sample of Mixed milk bearing Code No. and Sr. No. AQ-94 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Balotra is Sub-standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standard and Food Additives) Regulations, 2011** का पाये जाने के लिए प्रथम अपराध मानते हुए नरम रूख अपनाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **दुध (खुला)** का पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट से अप्रार्थी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित है।
2. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर **रुपये 10,000/- अक्षरे दस हजार रुपये मात्र** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का **बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/ई-चालान - मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालोतरा** के नाम पेश करें, जो पेश होने पर संबंधित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हों।
3. आदेश दिनांक **08.10.2025** को खुले न्यायालय सुनाया गया।



(भुवनेश्वर सिंह चौहान)
 न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
 अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा
 न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
 अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा